

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-21 / 01 / 2019

विषय:-राज्य योजनान्तर्गत नवस्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा (तत्कालीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा) के भवनों के निर्माण एवं मशीन-उपकरणों के क्रय हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 7,81,25,00,000/- (रुपये सात अरब इक्यासी करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त रु० 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, बिहार, पटना के राज्यादेश सं०-327(1) दिनांक-08.05.2013 सह-पठित शुद्धि-पत्र सं०-638(1) दिनांक-29.08.2013 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत नवस्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा (तत्कालीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा) के भवनों के निर्माण एवं मशीन-उपकरणों के क्रय हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रु० 7,81,25,00,000/- (रुपये सात अरब इक्यासी करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की लागत पर योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्ययादेश सं०-110(1) दिनांक-21-01-2019 द्वारा रु० 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त रु० 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मात्र आवंटित की जाती है।

2- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	आवंटनादेश सं०/ऑर्डर नं० एवं दिनांक
1	2013-14	50,00,00,000/-	सं०-27(1)ब०, दिनांक-29.08.2013
2	2015-16	50,00,00,000/-	सं०-1(1)ब०, दिनांक-06.05.2015
3	2015-16	34,00,00,000/-	सं०-105(1)ब०, दिनांक-21.01.2016
4	2015-16	40,00,00,000/-	सं०-127(1)ब०, दिनांक-17.03.2016
5	2016-17	100,00,00,000/-	सं०-39(1)ब०, दिनांक-03.08.2016
6	2016-17	90,00,00,000/-	सं०-79(1)ब०, दिनांक-02.02.2017
7	2016-17	100,00,00,000/-	सं०-91(1)ब०, दिनांक-10.03.2017
8	2017-18	57,00,00,000/-	सं०-92(1)ब०, दिनांक-19.01.2018
कुल योग-		521,00,00,000/-	

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:-

(क) बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।



(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही संबंधित अभियन्ता की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए संबंधित अभियन्ता जिम्मेवार माने जायेंगे।

4- स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-316(1), दिनांक 29.3.2007 जिसके द्वारा राज्य के तीन जिलों यथा-मधेपुरा, बेतिया (प0 चम्पारण) एवं नालन्दा (पावापुरी) में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना हेतु प्रति संस्थान कुल अनुमानित प्राक्कलित राशि रु० 3,28,00,00,000/- (रुपये तीन अरब अट्ठाईस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की मूल रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी कि अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

5- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7- इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अन्तर्गत 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार आकस्मिकता निधि के क्रमांक-76/CF, दिनांक-29.10.2018 से प्राप्त राशि से किया जायेगा।


8- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

9- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापानकः-1/रा०मे०कॉ०मधे०-03/2011-34(1)व० /स्वा०, पटना, दिनांक- 21 / 01 / 2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिलाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा (तत्कालीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा)/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा० मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

①, 21/1/19

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-21/01/2019

विषय:-राज्य योजनान्तर्गत नवस्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा (तत्कालीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा) के भवनों के निर्माण एवं मशीन-उपकरणों के क्रय हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 7,81,25,00,000/- (रुपये सात अरब इक्यासी करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्कीम (योजना) की प्रदत्त पुनरीक्षित स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु० 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, बिहार, पटना के राज्यादेश सं०-327(1) दिनांक-08.05.2013 सह-पठित शुद्धि-पत्र सं०-638(1) दिनांक-29.08.2013 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत नवस्थापित जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा (तत्कालीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा) के भवनों के निर्माण एवं मशीन-उपकरणों के क्रय हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रु० 7,81,25,00,000/- (रुपये सात अरब इक्यासी करोड़ पच्चीस लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजना की प्रदत्त पुनरीक्षित स्वीकृति के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्कीम (योजना) के कार्यान्वयन हेतु रु० 200,00,00,000/- (रुपये दो सौ करोड़) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	आवंटनादेश सं०/ऑर्डर नं० एवं दिनांक
1	2013-14	50,00,00,000 /-	सं०-27(1)ब०, दिनांक-29.08.2013
2	2015-16	50,00,00,000 /-	सं०-1(1)ब०, दिनांक-06.05.2015
3	2015-16	34,00,00,000 /-	सं०-105(1)ब०, दिनांक-21.01.2016
4	2015-16	40,00,00,000 /-	सं०-127(1)ब०, दिनांक-17.03.2016
5	2016-17	100,00,00,000 /-	सं०-39(1)ब०, दिनांक-03.08.2016
6	2016-17	90,00,00,000 /-	सं०-79(1)ब०, दिनांक-02.02.2017
7	2016-17	100,00,00,000 /-	सं०-91(1)ब०, दिनांक-10.03.2017
8	2017-18	57,00,00,000 /-	सं०-92(1)ब०, दिनांक-19.01.2018
कुल योग-		521,00,00,000 /-	

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा कराया जायेगा। वे निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करायेंगे:-

(क) बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना निविदा की शर्तों में सुयोग्य एवं अनुभवी एजेंसी के चयन की सुस्पष्ट प्रक्रिया अंकित करेंगे।

(ख) कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत नहीं कराया जा रहा है।

(ग) कार्य बिहार वित्त नियमावली, 2005, पी0डब्ल्यू0डी0 कोड एवं अन्य सरकारी अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(घ) कार्य को निर्धारित अवधि में वांछित गुणवत्ता के साथ सम्पन्न कराने की जवाबदेही संबंधित अभियन्ता की होगी।

(ङ) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि के पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए संबंधित अभियन्ता जिम्मेवार माने जायेंगे।

4- स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश संख्या-316(1), दिनांक-29.3.2007 जिसके द्वारा राज्य के तीन जिलों यथा- मधेपुरा, बेतिया (प0 चम्पारण) एवं नालन्दा (पावापुरी) में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना हेतु प्रति संस्थान कुल अनुमानित प्राक्कलित राशि रू० 3,28,00,00,000/- (रुपये तीन अरब अट्ठाईस करोड़) मात्र की लागत पर योजना की मूल रूप से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

5- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

7- इस राशि के व्यय का वहन मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अन्तर्गत 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार आकस्मिकता निधि के क्रमांक-76/CF, दिनांक-29.10.2018 से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

8- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं०-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

9- बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11- इसमें आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं०सं०-1/रा०मे०कॉ०मधे०-03/2011 के पृष्ठ-125/टि० पर प्राप्त है।

12- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13- यह मात्र व्यय की स्वीकृति है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

18/11/19
(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/रा०मे०कॉ०मधे०-03/2011-110(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 21 / 01 / 2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/जिलाधिकारी, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा (तत्कालीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा)/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार स्वास्थ्य सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/01/19

सरकार के विशेष सचिव

72